

**न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर**  
**पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.**

**पत्रावली संख्या : 76/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002**

एक्सिस बैंक लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी नवीन शर्मा  
रजिस्टर्ड कार्यालय – त्रिशुल-3<sup>rd</sup> फ्लोर, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रीज, अहमदाबाद, गुजरात 380006  
क्षेत्रीय कार्यालय – जी 9, महिमा त्रिनिटी मॉल, 3 एफ-24, स्वेज फार्म, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर, राजस्थान

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

**बनाम**

1. समंदर सिंह, निवासी सरपंच की कोटडी, बाडलवास, सीकर, राजस्थान 332023 एवं स्वतंत्रता सैनानी फिलींग स्टेशन, लोसल रोड़, खोर, सीकर, राजस्थान 302023
2. नरेश कंवर, निवासी वार्ड नं. 11, बाडलवास, सीकर, राजस्थान 332023

–अप्रार्थीगण (ऋणी/बंधककर्ता)

**The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.**

**स्वीकृति आदेश**

दिनांक: 05 मई, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 समंदर सिंह एवं नरेश कंवर की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी समंदर सिंह के स्वामित्व की चल सम्पत्ति MAHINDRA CAT C-SCORPIO CAR है। जिसका Reg. No. RJ23UC0095, Engine No. WRK4E13073, Chassis No. MAITA2WR2K2E10223 है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर कुल


१  
(मुकुल शर्मा)  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



**22,60,314 /— रूपये (अक्षरे रूपये बाईस लाख साठ हजार तीन सौ चौदह रूपये मात्र)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **21.11.2023** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी/अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री विजय सिंह तंवर उपस्थित हुए परन्तु बकाया ऋण भुगतान से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **21.11.2023** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 **समंदर सिंह** एवं **नरेश कंवर** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **समंदर सिंह** के स्वामित्व की चल सम्पत्ति **MAHINDRA CAT C-SCORPIO CAR** है। जिसका Reg. No. **RJ-23UC-0095**, Engine No. **WRK4E13073**, Chassis No. **MA1TA2WR2K2E10223** है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त



  
**(मुकुल शर्मा)**  
**जिला मजिस्ट्रेट, सीकर**

करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के स्वीकृति आदेश इस प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त स्वीकृति आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान जो भी नियमों में देय है, वह सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **05 मई, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकुल शर्मा)  
(मुकुल शर्मा)  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर